150

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांक : एफ17(8)7/डीईएस/रा.ज.आ.यो./कार्ड वितरण/2020/ दिनांक :24.08.2020

जिला कलेक्टर एवं
जिला जन आधार योजना अधिकारी,
समस्त

विषयः—राजस्थान जन आधार योजनान्तर्गत जन आधार कार्ड वितरण में गति लाये जाने हेतु।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान जन आधार योजनान्तर्गत एनएफएसए परिवारों को जन आधार कार्ड का वितरण फरवरी 2020 से किया जा रहा है किन्तु कोविड—19 वैश्विक महामारी के कारण राज्य में लॉकडाउन घोषित करने से कार्ड वितरण की गति बाधित हुई है। तद्उपरान्त अनलॉक 1.0 लागू होने पर कार्ड वितरण की गति में वृद्धि हुई किन्तु दिनांक 16 अगस्त, 2020 तक की कार्ड वितरण की प्रगति का अवलोकन एवं विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि माह अगस्त, 2020 में कार्ड वितरण की प्रगति अत्यन्त धीमी रही है।

''राजस्थान जन आधार योजना'' राज्य की एक फ्लेगशिप योजना है, जिसके माध्यम से राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ पात्र लाभार्थियों को हस्तांतरित कराये जाते है किन्तु सभी परिवारों को कार्ड नहीं मिलने से लाभ हस्तांतरण की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। अतः अनुरोध है कि जिले में कार्ड वितरण की नियमित समीक्षा कर शीघ्र जन आधार कार्ड का वितरण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का श्रम करावें।

भवदीय,

(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

15

क्रमांक : एफ17(8)7/डीईएस/रा.ज.आ.यो./कार्ड वितरण/2020/ दिनांक :25.08.2020

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौ. और संचार विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, जन आधार, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, ई–मित्र, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक (एसीपी), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग समस्त जिले, राजस्थान।
6. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त जिले, राजस्थान।
7. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगर निकाय, राजस्थान।
8. उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी, समस्त, राजस्थान।
9. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी/प्रोग्रामर, समस्त पंचायत समिति, राजस्थान।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक, जन आधार